

न्यायालय सिविल जज (जूंडि०)टाण्डा,अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या-344/21

सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय आदि ---- बनाम ----- रामचन्द्र

**CNR No. UPAN120004162021**

**दिनांक-10.09.2021**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वाद बिन्दु निर्मित किये जाने हेतु नियत है। पक्षकारो में सुलह का प्रयास किया गया। पक्षकारो में सुलह की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है अतः उभयपक्षो के अभिवचनो के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते है:-

- 1- क्या वादीगण विवादित सम्पत्ति, जो वाद पत्र के अन्त में अक्षर ए, बी, सी, डी, से दर्शित है, का मालिक काबिज एवं दखील है?
- 2- क्या वादीगण विवादित सम्पत्ति, जो वाद पत्र के अन्त में अक्षर ए, बी, सी, डी, से दर्शित है, के संबंध में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?
- 3- क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
- 4- क्या अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
- 5- क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद करण का अभाव है?
- 6- क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

इसके अलावा न तो कोई अन्य वाद बिन्दु बनते हैं और न ही किसी अन्य वाद बिन्दु विरचित किये जाने हेतु पक्षकारो की ओर से कोई बल दिया गया। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3 व 4 दिनांक 29.09.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)

सिविल जज (जूंडि०)टाण्डा,  
अम्बेडकरनगर।

जे०ओ० कोड यू०पी० 02520